संख्या-330/2017/186/22-2-2017-17(91)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक 28 अप्रैल, 2017**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी माताप्रसाद पुत्र श्री मंहगू निवासी जनपद-सुल्तानपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016 (एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी माताप्रसाद पुत्र श्री मंहगू, निवासी ग्राम-नटौली, थाना-गोसाईगंज, जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। जानवर चराते समय बच्चों में हुई लड़ाई व मारपीट में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.09.1999 की सायं लगभग 06:30 बजे लाठी, बल्लम एवं चाकू से हमला कर 02 लोगों की हत्या की तथा 01 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-208/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 30.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2016 तक 17 वर्ष 02 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि जानवर चराते समय बच्चों में हुई मारपीट की घटना में बन्दी द्वारा 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.09.1999 को लाठी, बल्लम एवं चाकू से हमला कर 02 लागों की हत्या की तथा 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष 07 माह लगभग है। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर ने 05 बिन्दुओं की आख्या मे की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये समयपूर्व रिहाई के विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी, माता प्रसाद पुत्र श्री मंहगू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी माता प्रसाद (बन्दी संख्या-14907) श्री मंहगू निवासी जनपद-सुल्तानपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-330/2017/186(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-330/2017/186/22-2-2017-17(91)/2014

दिनांक 28 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी माताप्रसाद पुत्र श्री मंहगू, निवासी ग्राम-नटौली, थाना-गोसाईगंज, जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। जानवर चराते समय बच्चों में हुई लड़ाई व मारपीट में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.09.1999 की सायं लगभग 06:30 बजे लाठी, बल्लम एवं चाकू से हमला कर 02 लोगों की हत्या की तथा 01 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-208/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 30.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2016 तक 17 वर्ष 02 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि जानवर चराते समय बच्चों में हुई मारपीट की घटना में बन्दी द्वारा 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.09.1999 को लाठी, बल्लम एवं चाकू से हमला कर 02 लागों की हत्या करने तथा 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष 07 माह लगभग है। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर ने 05 बिन्दुओं की आख्या मे की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये समयपूर्व रिहाई के विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी, माता प्रसाद पुत्र श्री मंहगू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in